

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

PH. No. 2781556, 2780290

Fax No. 2780290

Website- www.rwd.uk.gov.in

पत्रांक- 379/ग्रा0नि0वि0/निविदा सूचना/2016-17

दिनांक 18-5-16

अल्प कालीन "राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा सूचना"

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु मूल निर्माता एवं अधिकृत विक्रेताओं से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मोहरबन्द निविदा मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में दिनांक 26/05/2016 को अपराहन 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें उसी दिन अपराहन 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी या मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। इस कार्य की निविदा दिनांक 25/05/2016 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), कार्यालय ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून में बेची जायेगी अथवा वेबसाइट [https:// www.rwd.uk.gov.in](https://www.rwd.uk.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु.)	निविदा का मूल्य (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	4	5	6	7	8
1	परिमण्डल पौडी, प्रखण्ड कोटद्वार, विकासखण्ड दुगड्डा, कोटद्वार के अन्तर्गत नवनिर्मित प्रेक्षागृह में वातानुकूलन हेतु 11 टन के 5 न० ए०सी० एवं 2 टन के 6 न० ए०सी० की आपूर्ति, स्थापना, टैस्टिंग व कमीशनिंग इत्यादि का कार्य। (संलग्नक 'ए' एवं 'बी' के अनुसार)	44000.00	2000.00+13.5% टी०टी०	1 माह	90 दिन	मूल निर्माता एवं अधिकृत विक्रेता।

निविदा की शर्तः-

- 1- सशर्त निविदा/अपूर्ण निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2- बिना धरोहर धनराशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निविदा देते समय एक लिफाफा (क) में धरोहर धनराशि एवं दूसरा लिफाफा (ख) में निविदा प्रपत्र रखना होगा। धरोहर धनराशि की उपलब्धता पर ही निविदा का लिफाफा खोला जायेगा। प्रथम बार निविदा आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा नहीं खोली जायेगी।
- 3- धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर० के रूप में जो कि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बन्धक हो, ही मान्य होगी।
- 4- निविदादाता यदि निविदा प्रपत्र डांक से मंगाना चाहता हो अथवा उक्त वेबसाइट से डाउनलोड करता है तो उसे निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित मूल्य (2000.00+13.5% टी०टी०) का बैंक ड्राफ्ट मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से तैयार कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 5- निविदा के साथ निविदादाता को रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर 1.00रुपये का रसीदी टिकट लगाकर तत्सम्बन्धी घोषणा करनी होगी।
- 6- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 7- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आयकर/व्यापारकर/रायल्टी एवं अन्य कटौतियां निविदादाता के बीजक से की जायेगी।

- 8- निविदा विक्री पर वाणिज्यकर 13.50 प्रतिशत आदि निर्गत शासनादेशों के अनुसार व नियमानुसार देय होगा।
9- सफल निविदादाता को सूचना मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर निविदा स्वीकृति पत्र में दी गई शर्तों के तहत अनुबन्ध करने हेतु उपस्थित होना होगा, अन्यथा जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10- प्राप्त निविदाओं में स्वीकृत की जाने वाली निविदा के अनुबन्ध गठन पर शासनादेश संख्या-120/III(2)-2014/20 (सामान्य)/2011 दिनांक 08.01.2014 द्वारा निर्गत जी0पी0डब्लू0-9 की शर्तों के अनुरूप कार्यपूर्ति/अतिरिक्त कार्य पूर्ति, गारन्टी धनराशि तथा जमानती धनराशि की कटौती की जायेगी।
11- निविदा की अन्य शर्तें मैनुअल 69-70/जी0पी0डब्ल्यू0-9/विभाग द्वारा गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार ही होंगी।
12- वैट/सी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13- यदि कोई निविदादाता निविदा प्रपत्र डांक से मंगाना चाहता हो तो वह निविदा प्रपत्र मूल्य, डांक व्यय सहित भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। विलम्ब से डांक प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14- प्राविधिक परीक्षक(टी0ए0सी0)उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पाई जाती है या कोई वसूली निकाली जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। आवश्यकता पड़ने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरान्त ही निविदादाता की जमानती धनराशि वापस की जायेगी।
15- निविदा खोलने एवं विक्रय की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में बेची एवं खोली जायेंगी।
16- निविदा दाता को मूल निर्माता कम्पनी की ओर से निर्गत अधिकृत विक्रेता होने पर प्राधिकार पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
17- निविदा दाता को Installation & commissioning का दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव का प्रमाण निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
18- विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) होगा।
19- निविदा में मदवार दरें ही मान्य होंगी।

18/5/16
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
18/5/16